न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 16/2016

श्री गणेश लाल चण्डक पुत्र श्री शंकर लाल चण्डक जाति मोहश्वरी निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

.....निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतनलाल
2. श्री रामजस
3. श्री कन्हैया लाल
4. श्री रामेश्वर लाल
   पुत्रगण श्री शंकरलाल चण्डक समस्त जाति माहेश्वरी निवासीगण ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
5. श्रीमति नर्बदा देवी पुत्री श्री शंकरलाल चण्डक धर्मपत्नी श्री सोहनलाल सोमानी जाति वैश्य निवासी गुर्जर की टाल के सामने, वीर सांवरकर चौक भोपालगंज जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमति शान्ति देवी पुत्री श्री शंकरलाल चण्डक पत्नी श्री राधेश्याम तोषनीवाल जाति वैश्य निवासी पुराना बाजार गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा।
7. ग्राम पंचायत देवलियाकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
8. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मदनसिंह रावत, वकील अप्रार्थी सं. 1 व 7 की ओर से।
3. श्री मनोहरलाल प्रजापत, वकील अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 23.11.1982 को श्री रतनलाल चण्डक पुत्र श्री शंकरलाल चण्डक निवासी ग्राम देवलियाकलां ने सरपंच ग्राम पंचायत देवलियाकलां पंचायत समिति भिनाय के समक्ष ग्राम देवलियाकलां स्थित स्वयं के मकान का पट्टा जारी करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की बैठक दिनांक 30.11.1982 के प्रस्ताव अनुसार पट्टा फीस जमा की जाकर मकान का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। तथा उक्त निर्णय के अनुसरण में दिनांक 11.12.1982 को आबादी भूमि बापी पट्टा संख्या 21 जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या

अपर कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा संख्या 21 दिनांक 11.12.1982 से असंतुष्ट होकर पट्टा निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 जरिये वकील उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 7 ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी लगभग 35 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात् पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए न्यायालय का ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत देवलियाकलां के आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.12.1982 की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम उस समय हुई जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तैनी सम्पत्ति के अपने कब्जे के भूखण्ड पर दीवार खड़ी कराई जाने के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त दीवार को ध्वस्त कराये जाने के दौरान उपजे झगड़े के समय उन्होंने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त पुश्तैनी बाबत् मैने बापी पट्टा काफी वर्षों पूर्व जारी करवा लिया है तथा उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरी अपनी है। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से आक्षेपीय पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। ऐसे प्रभावशून्य आदेश को निरस्त करवाये जाने हेतु मियाद की कोई बाध्यता नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1993 पेज 411 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी गुणावगुण पर निर्णित की जावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 7 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में समस्त गलत कथन अंकित किये गये है। प्रार्थी न तो कभी ग्राम बड़ली में आता जाता है न ही उसने दीवार बनाई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि आक्षेपीय पट्टे की जानकारी उन्हें किस दिनांक को हुई है तथा किस दिनांक को नकल प्राप्त की व कब वकील से सम्पर्क किया। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बनाई गई दीवार यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने गिराई होती तो झगड़ा फसाद होता व मुकदमेबाजी होती किन्तु ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मनगढ़त कहानी बनाई गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। अतः निगरानी याचिका मियाद बाहर होने से निरस्त की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत निगरानी में मियाद के प्रतिबंध बाबत् कोई बाध्यता नहीं होने के कारण निगरानी गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 श्री शंकरलाल पुत्र श्री बद्रीलाल के वारिस होकर एक ही परिवार के सदस्य है तथा उनके पूर्वजों की सम्पत्ति ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अपने पूर्वजों के

कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

समय से ही काबिज चले आ रहे है। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के मन में उक्त सम्पत्ति के बारे में बदनियति आ जाने पर अपने पिता श्री शंकरलाल चण्डक की मृत्यु दिनांक 20.11.1999 पश्चात् उक्त पैतृक सम्पत्ति का बापी पट्टा समस्त वारिसान के नाम जारी नहीं करवा कर ग्राम पंचायत देवलियाकलां से मिलीभगत कर अकेले अपने स्वयं के नाम जारी करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के बड़े भाई को तथा परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उक्त परिवार की समस्त जिम्मेदारियां उन पर निर्भर थी तथा समस्त भाई बहनों का उन पर अटूट विश्वास था। घर के समस्त कानूनी व अन्य कार्यालय संबंधी कार्य वे स्वयं किया करते थे तथा घर की सम्पत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी परिवार में कर्ता खानदान होने के कारण उन पर थी। इसी विश्वास व भरोसे का नाजायज लाभ उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने आक्षेपीय बापी पट्टा स्वयं अकेले के नाम जारी करवा लिया जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री रतनलाल वर्ष 1981 से 1985 तक ग्राम पंचायत देवलियाकलां में उपसरपंच के पद पर आसीन थे इसी दौरान उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग कर तथा ग्राम पंचायत के अन्य अधिकारियों, पदाधिकारियों से मिली भगत कर आक्षेपीय पट्टा प्राप्त कर लिया। ग्राम पंचायत देवलियाकलां द्वारा जारी बापी पट्टा दिनांक 11.12.1982 के मुखपृष्ठ पर 'बापी पट्टा' शब्द अंकित किया गया है जिससे यह बात अपने आप में स्वयं सिद्व है कि उक्त आवासीय भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है जिसका पट्टा केवल एक व्यक्ति के नाम नहीं किया जाकर उसके समस्त वारिसान के नाम किया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक श्री शंकरलाल के उक्त आवासीय भूखण्ड के पट्टे बाबत् अन्य वारिसान की जांच न कर अप्रार्थी संख्या 1 को अनावश्यक लाभ देने की नीयत से आक्षेपीय पट्टा जारी किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे तथा मृतक के समस्त वारिसान के नाम नये सिरे से पट्टा जारी किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 7 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता ने अपने जीवनकाल में आज से 50 वर्ष पूर्व अपनी सम्पत्ति का समस्त पुत्रों के बीच बंटवारा कर दिया था जिसके अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से के रूपये लेकर ब्यावर में अध्यापक की नौकरी के कारण वहीं सुन्दर नगर में मकान बना कर निवास कर रहे है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 गांव में तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः दिल्ली व भीलवाड़ा में स्थाई रूप से नौकरी व व्यवसाय कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से में सिर्फ बापी पट्टा वाली जमीन व मकान में निवास कर रहे है तथा गांव में रहकर अपना कारोबार चला रहे है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उनके हिस्से से ज्यादा राशि व्यय कर उनकी शादी में दहेज इत्यादि देकर खर्चा बराबर कर दिया, अब बापी पट्टे वाली सम्पत्ति से उनका कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से मिली भगत कर आक्षेपीय पट्टा अपने अकेले के नाम जारी करवाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 कारोबारी व्यक्ति है इसलिए उन्हें अपना कारोबार चलाने हेतु समय–समय पर रूपयों की आवश्यकता रहती है ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने हिस्से की सम्पत्ति पर पूर्ण प्रक्रिया अपना कर बापी पट्टा प्राप्त किया है जिससे उक्त भूमि/सम्पत्ति पर व्यापार हेतु लोन प्राप्त कर सके। वकील अप्रार्थी संख्या

Scanned by CamScanner

1 व 7 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि बापी पट्टा वाली भूमि पर अप्रार्थी पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहा है। अतः ग्राम पंचायत देवलियाकलां के सरपंच व वार्ड पंचों से मौके को तस्दीक करने के बाद ही सर्व सम्मति से नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया है। जो टेलीफोन के बिल, आटा चक्की का पंजीयन प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य विधुत मण्डल विजयनगर द्वारा नवीन विधुत संबंध हेतु जारी नोटिस व ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र से उनके स्वामित्व की पुष्टि होती है जबकि प्रार्थी द्वारा स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी के अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य को आक्षेपीय पट्टे बाबत् कोई आपत्ति नहीं है, केवल मात्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने हेतु लगभग 35 वर्ष के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें निगरानी पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से अनियमितता उजागर नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वामित्व बाबत् विवादित सम्पत्ति के बिजली, टेलीफोन, आटा चक्की का पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां तक पुत्रियों के पैतृक सम्पत्ति के अधिकार का प्रश्न है इस संबंध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन कर सहदायिकी की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार 9 सितम्बर 2005 को जीवित सहदायकों की जीवित पुत्रियों पर संशोधन के तहत अधिकार लागू होते है, भले ही ऐसी पुत्रियों का जन्म कभी भी हुआ हो। चूंकि आवासीय बापी पट्टा वर्ष 1982 का है अतः उसमें पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नीहित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner